Research Paper E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 5 | ISSUE : 9 | SEPTEMBER 2019

वैशाली जिला के ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिकाः एक भौगोलिक अध्ययन

राकेश भारती [1]

[1] शोध–छात्र (भूगोल), मगध विश्वविद्यालय, बोध–गया

ABSTRACT:

वैशाली जिला उत्तरी बिहार के मैदानी भाग में स्थित है। इस मैदान का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा वाहित मलवे के निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। वैशाली जिला $25^0$30′ उत्तरी अक्षांश से $26^0$2′ उत्तरी अक्षांश तक तथा $85^0$15′ पूर्वी देशान्तर से $85^0$30′ पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल 2036 वर्ग कि०मी० है। यहाँ की कुल आबादी 34,95,021 है, जिसमें ग्रामीण आबादी 32,61,942 है। अर्थात् कुल जनसंख्या का 93.33 प्रतिशत ग्रामीण आबादी हाजीपुर जिला में है। इन ग्रामीण लोगों के समुचित विकास में पंचायती राज व्यवस्था का महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने भारत के विकास के लिए गाँवों के विकास का स्वप्न देखा था। उनके स्वप्न को साकार करने में पंचायती राज व्यवस्था की अहम भूमिका है। वर्तमान समय में ग्राम पंचायत के माध्यम से कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोजगार, आवास, यातायात के साधन, युवाओं में दक्षता विकास, दस्तकारी पशुपालन, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन इत्यादि कार्यक्रमों के विकास पंचायती राज के द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय में ई–लर्निंग को बढ़ावा भी ग्राम पंचायत के द्वारा दिया जा रहा है। अतः वैशाली जिला में ग्रामीण विकास में पंचायती राज का महत्वपूर्ण भूमिका है।

KEYWORDS:

निक्षेपण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, ग्राम पंचायत, स्वास्थ्य, शिक्षा, दस्तकारी, पशुपालन इत्यादि।

परिचयः

भारत गाँवों का देश है। यहाँ की लगभग 65% जनसंख्या कृषि एवं इससे सम्बन्धित कार्यों पर आधारित है। कृषि यहाँ के लोगों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन एवं राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में स्पष्ट विचार व्यक्त करते हुए कहा था–हमारे यहाँ गाँवों के विकास के बिना भारत के विकास की बात सोचना मूर्खता है, क्योंकि गाँवों में ही भारत निहीत है। वर्तमान में देश की आबादी 1.41 अरब की है, जिसमें मात्र 31.70 प्रतिशत लोग नगरों में निवास करते हैं। इनके विकास से देश का विकास नहीं हो सकता। देश के राष्ट्रीय विकास की धुरी हमारा गाँव ही है। विकास के संदर्भ में आजादी के बाद देश में पंचवर्षीय योजना आरम्भ हुआ, तब से गाँवों के विकास के लिए अनेक सकारात्मक कदम उठाये गये हैं। साथ ही अनेक योजनाएँ भी बनती रही है। यथा–काम के लिए अनाज कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन अधिनियम, इंदिरा आवास/प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा इत्यादि। इस प्रकार पंचायती राज योजना ने भी ग्रामीण विकास में नयी जान फूंकी है। परन्तु बिहार में यथोचित विकास नहीं हो सका है। 2000 में बिहार के बंटवारा के बाद खनिज, वन, उद्योग, अच्छे शिक्षण संस्थान आदि झारखण्ड के हिस्से में गया। बिहार में बचा जल, जमीन और जनसंख्या। इन्हीं संसाधनों के बुते पर बिहार के विकास की बात सोचना है। अभी यहाँ कृषि एवं आधारित उद्योगों के विकास की बड़ी संभावना है। राज्य में लगभग 63 प्रतिशत आबादी गाँवों में निवास करती है और उनका मुख्य पेशा कृषि और इस पर आधारित उद्योग है। अतः यहाँ के ग्रामीण विकास को गति प्रदान करने एवं मूर्त रूप देने के लिए कृषि को अधिक विकसित करने की आवश्यकता है। यहाँ भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किया गया, हरित क्रान्ति का प्रयोग हुआ परन्तु प्रत्याशित सफलता नहीं मिल पायी। अतः वैज्ञानिक ढंग से भूमि उपयोग करने एवं संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है।

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण विकास एक बहुआयामी घटक है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाबद्ध प्रयास करने की आवश्यकता है। इस प्रकार ग्रामीण विकास का तात्पर्य–ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़े कार्यक्रमों यथा–कृषि, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोजगार, आवास, कुटीर उद्योग एवं सामाजिक कल्याण आदि के द्वारा जीवन स्तर को ऊँचा उठाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस प्रकार यह ऐसी व्यूह रचना है जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन–यापन के तलाश में लगे निर्धनतम लोगों तक पहुँचाना है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना है।

ग्रामीण विकास को परिभाषित करते हुए विश्व बैंक ने कहा है– "ग्रामीण विकास एक विशिष्ट समूह ग्रामीण निर्धनों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को उन्नत करने की रणनीति है।"

अ० बसंत देशाई ने ग्रामीण विकास को परिभाषा निम्न प्रकार की है– "ग्रामीण विकास एक अधिगम है जिसके द्वारा ग्रामीण जनसंख्या के जीवन की गुणवत्ता में उन्नयन हेतु क्षेत्रीय श्रोतों के बेहतर उपयोग एवं संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण के आधार पर उनका सामाजिक, आर्थिक विकास किया जाता है एवं उनके नियोजन एवं आय के अवसरों को बढ़ाने का प्रयास किये जाते हैं।"

इय प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण विकास की रणनीति में राज्य की भूमि का अहम होती है। राज्य सरकार, सामूहिक प्रयास एवं ग्राम पंचायतों के प्रयास से गाँवों के विकास के कार्य होते रहे हैं। ग्रामीण विकास केवल कृषि और कृषि आधारित उद्योगों के विकास से ही संभव नहीं है। इसके लिए ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रौद्योगिकी, संरचनात्मक सभी पहलुओं में विकास की प्रक्रियाएँ ग्रामीण विकास की परिधी में सम्मिलित है।

ग्रामीण विकास में पंचायती राज की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान समय में ग्रामीण विकास की अधिकांश राष्ट्रीय एवं राजकीय योजनाएँ पंचायती राज के द्वारा ही क्रियान्वयन होता है। ग्राम पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति की सदस्यों के आपसी सहयोग से ग्राम पंचायत में विकासात्मक कार्यों को मूर्त रूप दिया जाता है। अतः ग्रामीण विकास में पंचायती राज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शुभारंभ भी यही से हुआ।

इस प्रकार पंचायत एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में आरम्भ होकर वर्तमान में स्थानीय स्वशासन के सशक बनाने में गाँवों के लोगों की भागीदारी बढ़ाने, कल्याणकारी योजनाओं में गति लाने तथा स्थानीय स्तर पर छोटे–छोटे विवादों को सुलझाने के उद्देश्य से अधिनियम बनाकर राज्यों में लागू किया गया है।

भारतीय संविधान के 73वाँ संशोधन के बाद पंचायती राज संस्था को सर्वाधिक अधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम के निम्नांकित विशेषताएँ हैं:

1. 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी राज्यों में त्रीस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था विकसित करना।
2. प्रत्येक 5 साल के अन्तराल में पंचायत चुनाव कराना।
3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं को एक तिहाई यहाँ पर आरक्षण कर व्यवस्था करना।
4. राज्य वित्त आयोग के द्वारा पंचायतों को वित्तीय अधिकार दिलाना।
5. जिला स्तरीय नियेाजन समिति बनाकर पुरे जिला के लिए एक समन्वित योजना का निर्माण करना।

इस प्रकार संविधान के अनुसार पंचातयों को स्वशासी संस्था के रूप में मान्तया देकर उसे निम्नांकित अधिकार एवं जिम्मेदारियाँ हो गयी है:

1. आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजना का निर्माण।
2. आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाओं का क्रियान्वयन।
3. पंचायत क्षेत्र में करों का वसुली का कार्य।

ग्राम पंचायत इस सभी कार्यों का समापन ग्राम सभा के द्वारा करती है। प्राथमिकता के आधार पर सभी कार्यों का निष्पादन ग्राम सभा के माध्यम से ही किया जाता है। ग्राम पंचायतों को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्तीय संसाधन मुहैया कराया जाता है। 2001 ई० में पंचायती राज मंत्रियों के सम्मेलन में संविधान की 11वीं सूची के अन्तर्गत 29 विषयों से सम्बन्धित अधिकार प्रदान किये गये हैं एवं पंचायतों को स्वशासी निकाय के रूप में कार्य करने का निर्देश दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि देश में ग्रामीण क्षेत्रों में फैली सामाजिक– आर्थिक विषमता को दूर करने में ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम पंचायतों को आर्थिक समृद्धि एवं सम्पन्नता लाने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास के निम्नांकित कार्य शक्ति प्रदान किया गया है–

1. सरकार द्वारा प्रदत्त सरकारी सुविधाओं को समुचित एवं न्यायपूर्वक विवरण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संस्था ग्राम पंचायत है।
2. ग्राम पंचायत में कुछ ही गाँव सम्मिलित होते हैं। अतः पारिवारिक स्तर पर जानकारी प्राप्त कर प्राथमिकता के आधार पर उन्हें सहायता प्रदान किया जाता है।
3. पारिवारिक स्तर तक सभी सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए ग्राम पंचायत सर्वाधिक कारगर संस्था है।
4. ग्राम पंचायत में उपलब्ध संसाधनों के संरक्षण एवं समुचित उपयोग के लिए दिशा–निर्देशन ग्रामीणों के सक्रिय भागीदारी से संभव है।
5. पशुपालन, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन एवं मत्स्य पालन जैसे घरेलू व्यवसाय का निष्पादन ग्राम पंचायत के माध्यम से ही संभव है।
6. ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्रामीण लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से जागरूक किया जाता है।

उपरोक्त आधारों पर ग्राम पंचायत ग्रामीण विकास महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वर्तमान समय में ग्रामीण विकास के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा निम्नांकित कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं–

1. रोजगार दिलाने के लिए मनरेगा अर्थात् महात्मा गाँधी नेशनल रूरल इम्प्लाइमेंट योजना।
2. स्वरोजगार और कौशल विकास के लिए नेशनल रूरल लिवलिहुड मिशन (एन०आर०एस०एम०)।
3. गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को आवास देने के लिए (इंदिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री आवास योजना)।
4. अच्छी सड़कें बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना।
5. सामाजिक पेंशन के लिए (एन०एस०ए०पी०)।
6. आदर्श ग्राम के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना।
7. ग्रामीण सेवा केन्द्रों के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरर्बन मीशन।

इनके अलावे ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास ग्रामीण पदाधिकारियों की क्षमता के विकास सूचना, शिक्षा और संचार निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए भी योजनाएँ हैं।

ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण विकास के लिए 5H कार्यक्रम का संचालन किया जाता है।

उद्देश्य:

वर्तमान शोध–पत्र वैशाली जिला के ग्रामीण विकास से सम्बन्धित है। इस अध्ययन के निम्नांकित उद्देश्य हैं–

1. वैशाली जिला के गाँवों के सामाजिक–आर्थिक स्थिति का अध्ययन।
2. वैशाली जिला के ग्रामीण विकास में कृषि का योगदान।
3. वैशाली जिला के ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका एवं ग्राम पंचायतों का योगदान।
4. ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत की भूमिका।

परिसंकल्पना:

वर्तमान शोध–पत्र निम्नांकित परिसंकल्पनाओं पर आधारित है–

1. वैशाली जिला के ग्रामीण विकास के लिए उपलब्ध भौतिक कारकों का अधिक प्रभाव पड़ता है।
2. वैशाली जिला ग्रामीण विकास में कृषि का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
3. वैशाली जिला के ग्रामीण विकास में सरकार का काफी योगदान है।
4. वैशाली जिला में ग्रामीण विकास के अधिकांश योजनाओं का क्रियान्वयन में पंचायती राज का महत्वपूर्ण भूमिका है।

विधितंत्र:

प्रस्तुत शोध–पत्र में अवलोकनात्मक एवं विश्लेषणात्मक विधितंत्रों का व्यवहार करते हुए विश्लेषण एवं व्याख्या के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़े का प्रयोग किया गया है। ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के आंकड़े अध्ययन क्षेत्र में भ्रमण कर ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव, वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव इत्यादि के अलावे ग्रामीण लोगों

से मिलकर प्रश्नावली के द्वारा प्राप्त किया गया है। इसके अलावे द्वितीयक आंकड़े की प्राप्ति डिस्ट्रिक्ट गजेटियर मुजफ्फरपुर, अन्य पुस्तकें, मैग्जीन एवं पत्र–पत्रिकाओं से प्राप्त किया गया है। तत्पश्चात् आवश्यकतानुसार इसे शोध–पत्र में सम्मिलित किया गया है।

अध्ययन क्षेत्रः

अध्ययन क्षेत्र वैशाली जिला मध्य गंगा के उत्तरी गंगा के मैदान में स्थित है। इस जिला का निर्माण मुजफ्फरपुर जिला से अलग होकर 1972ई० में हुआ है। इसका अक्षांशीय विस्तार $25^0 30'$ उत्तरी अक्षांश से लेकर $26^0 2'$ उत्तरी अक्षांश तक और $85^0 05'$ पूर्वी देशान्तर से $85^0 30'$ पूर्वी देशान्तर तक स्थित है। इसका क्षेत्रफल 2036 वर्ग कि०मी० है। इस जिला के उत्तर में मुजफ्फरपुर जिला, दक्षिण में गंगा नदी, पूरब में समस्तीपुर जिला और पश्चिम में सारण जिला इसके सीमा का निर्धारण करते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार वैशाली जिला की कुल आबादी 3495021 है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व 1717 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि०मी० है। इस जिला का मुख्यालय हाजीपुर, पटना महानगर का सेटेलाइट सिटी है। महात्मा गाँधी सेतु के संचालन के बाद यह दक्षिण बिहार एवं झारखण्ड से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ गया है और इसका विकास तीव्रगति से होने लगा है। ग्रेटर पटना में हाजीपुर को भी शामिल किया गया है। इस जिला के कुल ग्रामीण जनसंख्या 3261942 (2011) है। अर्थात् जिला के कुल जनसंख्या का 93.33 प्रतिशत ग्रामीण आबादी है।

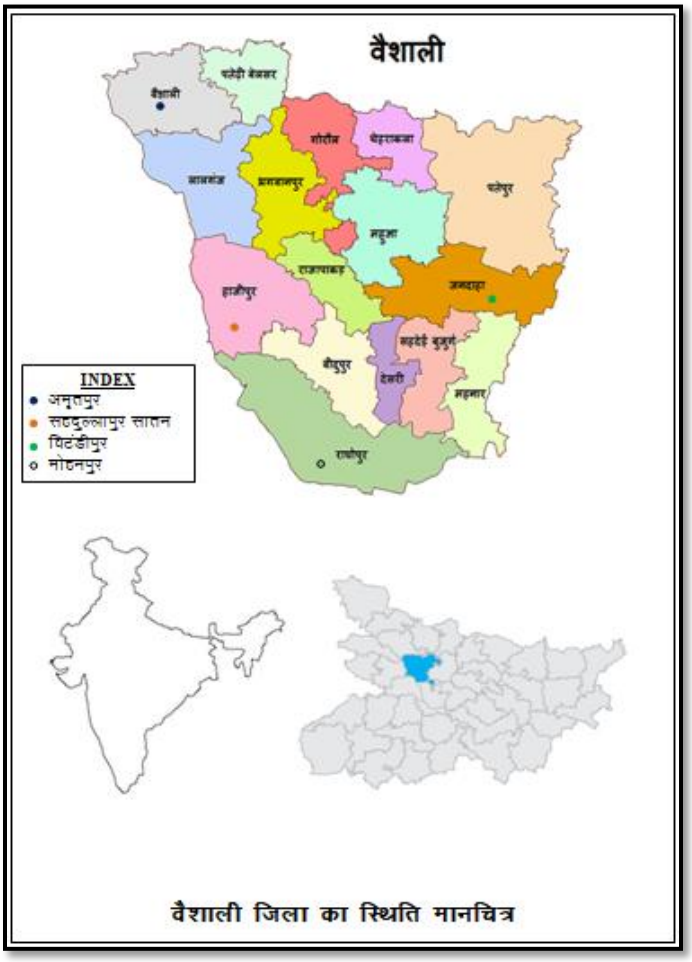

वैशाली जिला का स्थिति मानचित्र

ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिकाः

यह सर्वविदित है कि पंचायती राज संस्थाएँ ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विकास की दिशा में अनेक सामूहिक प्रयासों के लिए ग्रामवासियों के गोलबंदी होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए इसके कार्यक्रमों के अध्ययन की आवश्यकता होती है। भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है और बिना आत्मा के विकसित किये सर्वांगीण विकास असंभव है। इसी कार्य के लिए ग्रामीण समस्याओं से अवगत लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनकर उनके माध्यम से गाँवों का विकास ही पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। यों तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में स्वायत्तशासी संस्थाओं के माध्यम से गाँव के सशक्त बनाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर कई समितियाँ बनाकर इस व्यवस्था को सशक्त बनाने का कार्य किया गया। 1957ई० में बलदेव राय मेहता कमिटी में ग्राम, प्रखण्ड एवं जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन किया गया। इन संस्थाओं को समुचित अधिकार, कार्य और जिम्मेदारी सौंपने, सामुदायिक विकास कार्यों में स्थानीय स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को भागीदारी देने तथा प्रशासन की भूमिका कानूनी सुझाव देने तक सीमित रखने का सुझाव दिया।

1. Home for Homeless (बेघरों को घर)
2. Health Care (स्वास्थ्य सुविधा)
3. Hygin (स्वच्छता)
4. Harmoney in Devinity (विविधता में एकता)
5. Human Value (मानव मूल्य)

इन कार्यों के अलावे ग्राम पंचायत के स्तर से गाँवों में ग्रामीण विद्युतिकरण, जैविक खेती अर्थात् रसायन मुक्त खेती, बदलाव की क्रान्ति में सहभागिता इत्यादि कार्यक्रमों द्वारा भी ग्राम पंचायत ग्रामीण विकास में सार्थक कार्य करती है।

वैशाली जिला के सभी ग्राम पंचायतों में उपरोक्त सभी कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। वैशाली जिला के गाँवों के प्रतिदर्श गाँवों के अध्ययन के क्रम में इन सभी योजनाओं के कार्यान्वयन और इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। वैशाली जिला के राघोपुर प्रखण्ड में मोहनपुर ग्राम पंचायत, हाजीपुर प्रखण्ड में सहदुल्लापुर सातन ग्राम पंचायत, जन्दाहा प्रखण्ड में विटंडीपुर ग्राम और वैशाली प्रखण्ड में अमृतपुर ग्राम का अध्ययन किया गया है। इस क्रम में उपरोक्त पंचायतों का पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा ग्रामीण विकास कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुलभ यातायात व्यवस्था, वृद्धावस्था पेंशन, कौशल विकास योजना, बेघरों को घर, पेयजल का व्यवस्था, स्वच्छता, आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण इत्यादि कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक संचालन एवं निष्पादन के परिणामस्वरूप उपरोक्त प्रतिदर्श ग्राम पंचायतों में ग्रामीण विकास स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है।

निष्कर्षः

इस प्रकार कहा जा सकता है कि ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को बिना किसी भेद–भाव, राग–द्वेष के ग्रामीण विकास में सक्रिय होने की आवश्यकता है। यदि गाँव विकास करेंगे तो राज्य और देश विकास करेगा। देश की आत्मा गाँवों में निवास करती है। यदि आत्मा संतुष्ट होता है तो निश्चित रूप से अच्छा सेहत रहेगा। इस प्रकार वैशाली जिला के गाँवों के विकास में पंचायती राज की महत्वपूर्ण भूमिका है।

REFERENCES

1. श्रीवास्तव, बी०के०; शर्मा, एन०; चौहान, बी०आर० (2006), प्रादेशिक नियोजन एवं संतुलित विकास, बसुन्धरा प्रकाशन, गोरखपुर

2. चाँदना, आर०सी० (2015), प्रादेशिक नियोजन एवं विकास, कल्याणी पब्लिशर्स, लुधियाना

3. गौतम, पी० (2018), बिहार पंचायती राज पुस्तक, लॉ पब्लिशिंग हाऊस, जक्कनपुर, पटना

4. तिवारी, आर०सी० (2013), भारत का भूगोल, प्रवालिका प्रकाशन, इलाहाबाद

5. सिंहा, डी०पी० (2019), बिहार की नयी योजनाएँ, विभागीय प्रकाशन बिक्री केन्द्र, पटना–15